सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत वेबसाइट स्व:प्रकटन
(Section 4 Proactive Web Disclosures)

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

बिंदु संख्या 1: खरीद से सम्बन्धित जानकारी (Procurement / Tenders)

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं इसके नियंत्रणाधीन समस्त जनपदीय/क्षेत्रीय कार्यालयों में सामग्री, संयंत्रों, तकनीकी सेवाओं एवं निर्माण कार्यों की खरीद (Procurement) पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक एवं समयबद्ध रीति से संपादित की जाती है।

1.1 अधिप्राप्ति के विधिक प्राविधान एवं मानक प्रक्रिया

- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित 2025): समस्त विभागीय खरीद एवं निविदाएं राज्य अधिप्राप्ति नियमावली एवं वित्तीय नियम संग्रह के अंतर्गत गठित क्रय समितियों की संस्तुति पर की जाती हैं।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal): कार्यालयीन उपस्करों, कंप्यूटर हार्डवेयर, स्टेशनरी, वाहनों को किराए पर लेने तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से GeM पोर्टल (gem.gov.in) के माध्यम से की जाती है।
- उत्तराखण्ड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (uktenders.gov.in): ₹5.00 लाख से अधिक लागत के समस्त निर्माण कार्यों, सड़क परियोजनाओं (PMGSY), भवनों के निर्माण एवं विशिष्ट सेवाओं हेतु ई-निविदाएं राज्य ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर आमंत्रित की जाती हैं।

1.2 चालू एवं प्रमुख अधिप्राप्तियों/अनुबंधों का विवरण

क्र.सं.	अधिप्राप्ति / कार्य का नाम	अनुमानित लागत / अनुबंध राशि	अपनाई गई अधिप्राप्ति प्रक्रिया	पोर्टल / नोटिस संदर्भ	संबंधित कार्यालय / कस्टोडियन
1	कार्यालयीन कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस एवं नेटवर्किंग उपकरण	₹ 18.89 लाख	GeM पोर्टल (कस्टम बिड / रिवर्स ऑक्शन)	GeM Bid No. GEM/2025/B/94821	प्रभारी अधिकारी (भंडार), आयुक्तालय पौड़ी
2	आयुक्तालय एवं कैम्प कार्यालय हेतु सुरक्षा व सफाई सेवाएं	₹ 4.05 लाख	GeM सर्विस बिड (मानव संसाधन)	GeM Bid No. GEM/2026/S/11024	प्रशासनिक अधिकारी (नजारत), आयुक्तालय
3	कार्यालय उपयोगार्थ हल्के वाहनों	₹ 35.00 लाख (वार्षिक बजट)	GeM पोर्टल पर पारदर्शी बोली	GeM Bid No. GEM/2025/V/54120	व्यवस्थाधिकारी / नोडल वाहन पटल

क्र.सं.	अधिप्राप्ति / कार्य का नाम	अनुमानित लागत / अनुबंध राशि	अपनाई गई अधिप्राप्ति प्रक्रिया	पोर्टल / नोटिस संदर्भ	संबंधित कार्यालय / कस्टोडियन
	को किराए पर लेना				
4	PMGSY सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण / अनुरक्षण	योजना लागत अनुसार	राज्य ई-टेंडरिंग (uktenders.gov.in)	ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, URRDA, देहरादून
5	UIRD&PR रुद्रपुर एवं 8 ETCs हेतु प्रशिक्षण सामग्री मुद्रण	₹ 15.00 लाख	खुली ई-निविदा / सीमित निविदा	UKRD/Printing/2025-26/02	अधिशासी निदेशक, UIRD&PR रुद्रपुर

बिंदु संख्या 2: सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी०पी०पी० / PPP)

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाएं (यथा VB-GRAM G, PMAY-G, DAY-NRLM, PMGSY, MBADP, VVP, विधायक निधि, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना आदि) पूर्णतः शत-प्रतिशत केंद्र एवं राज्य सरकार के बजटीय आवंटनों से संपोषित हैं।

1. पी०पी०पी० परियोजनाएं: विभाग के अंतर्गत किसी भी निजी विकासकर्ता के साथ कोई वाणिज्यिक रियायती समझौता (Concession Agreement), बीओटी (BOT), बीओओटी (BOOT) अथवा पीपीपी अनुबंध संपादित नहीं है।
2. विशेष प्रयोजन वाहन (SPV): विभाग के अंतर्गत कोई वाणिज्यिक SPV गठित नहीं है। (बाह्य सहायतित परियोजना REAP हेतु गठित 'उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति' (UGVS) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत शासकीय संस्था है)।
3. टोल / राजस्व संग्रहण: विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का पथकर (Toll), यूजर-फीस अथवा वाणिज्यिक राजस्व संग्रहित नहीं किया जाता है।

- **स्थिति: शून्य / लागू नहीं (Nil / Not Applicable)**

बिंदु संख्या 3: स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश (Transfer Policy and Transfer Orders)

विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध। – https://ukrd.uk.gov.in/documents/

बिंदु संख्या 4: आरटीआई आवेदन (RTI Applications & Disposal Status)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नागरिकों को सूचना सुलभ कराने हेतु विभाग राज्य सूचना आयोग तथा राज्य आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से पूर्णतः आच्छादित है।

4.1 विगत 03 वर्षों के आरटीआई आवेदनों की सांख्यिकी

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन (ऑनलाइन + भौतिक)	पूर्णतः निस्तारित आवेदन	निरस्त / धारा 8 व 9 में अस्वीकृत	प्रथम अपीलों की संख्या	प्रथम अपीलों में निस्तारित	अनिस्तारित /लंबित आवेदन
2024–25	127	127	00	11	11	00
2025–26	149	149	00	03	03	00
2026–27 (31 अक्टूबर 2026 तक)	86	86	00	04	04	00

- ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल: नागरिक (https://rtionline.uk.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान (₹10/-) तथा प्रथम अपील दर्ज कर सकते हैं।

बिंदु संख्या 5: एजी का पैरा (Audit Observations / AG Paras)

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा ग्राम्य विकास विभाग अन्तर्गत आयुक्तालय द्वारा संचालित केन्द्र पोषित/राज्य पोषित योजनाओं का ऑडिट (परीक्षण) कार्य समय–समय पर सम्पादन किया जाता है एवं ऑडिट आपत्तियो/ऑडिट मैमों का प्रतिउत्तर ससमय महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए निस्तारित किए जाते हैं एवं वर्तमान में आयुक्तालय स्तर पर ऑडिट पैरा/आपत्ति लम्बित नहीं है।

- **स्थिति: शून्य / लागू नहीं (Nil / Not Applicable)**

बिंदु संख्या 6: विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन निधि (Discretionary and Non-Discretionary Funds)

ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत विवेकाधीन निधि (Discretionary Fund) का प्राविधान नहीं है। समस्त निधियां विहित मार्गदर्शिकाओं एवं नियमों के अनुसार गैर-विवेकाधीन (Non-Discretionary) रूप से संचालित होती हैं:

निधि / कार्यक्रम का नाम	निधि का स्वरूप	वित्तीय वर्ष 2025-26 आवंटन	वित्तीय वर्ष 2026-27 प्रस्तावित	संचालन एवं संस्वीकृति के विहित नियम
विधायक निधि (MLALADS)	गैर-विवेकाधीन (Non-Discretionary)	₹ 35,485.00 लाख	₹ 35,000.00 लाख	राज्य विधायक निधि नियमावली के अनुसार ₹5.00 करोड़ प्रति विधानसभा; मुख्य विकास

निधि / कार्यक्रम का नाम	निधि का स्वरूप	वित्तीय वर्ष 2025-26 आवंटन	वित्तीय वर्ष 2026-27 प्रस्तावित	संचालन एवं संस्वीकृति के विहित नियम
				अधिकारी द्वारा प्राक्कलन गठन उपरांत 15 दिन में कार्य स्वीकृति।
सांसद निधि (MPLADS)	गैर-विवेकाधीन (Non-Discretionary)	₹ 5.00 करोड़ प्रति सांसद	₹ 5.00 करोड़ प्रति सांसद	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) दिशा-निर्देश 2023; कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी (DM/CDO) द्वारा 45 दिन में प्रशासनिक संस्वीकृति।

बिंदु संख्या 7: नागरिक चार्टर (Citizen Charter)

विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध है। https://ukrd.uk.gov.in/document-category/sewa-ka-adikaar/

बिंदु संख्या 8: अनुशासनात्मक कार्यवाही की संख्या (Disciplinary Actions)

आयुक्तालय स्तर पर वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान नहीं है। विभागान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही सूचना संज्ञानित होने पर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

बिंदु संख्या 9: विदेशी दौरे और यात्राओं का विवरण (Foreign Tours and Visits)

प्रमाणित विधिक स्थिति (Certified Nil Disclosure)

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के किसी भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा अन्य कार्मिक द्वारा आलोच्य वित्तीय वर्षों (2024-25, 2025-26 एवं 2026-27) में राजकीय कोष/विभागीय बजट के व्यय पर कोई विदेशी दौरा अथवा विदेश यात्रा संपादित नहीं की गई है।

- **स्थिति: शून्य / निरंक (Nil)**

बिंदु संख्या 10: लोक प्राधिकारी का मैनुअल एवं अद्यतन तिथि (RTI Manuals & Last Updated Date)

- अधिनियम का अनुपालन: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत समस्त 17 मैनुअल्स का निर्माण एवं बिंदुवार प्रकटीकरण किया गया है।
- अद्यतन स्थिति का स्पष्ट उल्लेख: यह मैनुअल दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 तक पूर्णतः अद्यतन (Updated up to 31th October, 2026) है।
- वेबसाइट लिंक: www.ukrd.uk.gov.in/rti-manual-2026

बिंदु संख्या 11: मण्डल / जनपद / तहसील / विकास खण्ड स्तर पर मैनुअल्स का विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन

- **स्थिति: लागू नहीं/शून्य / निरंक (Nil)**

बिंदु संख्या 12: नियमों, विनियमों, निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची

विभागीय कार्यों के संपादन हेतु प्रयुक्त एवं वेबसाइट पर अपलोड है:

- वेबसाइट लिंक: www.ukrd.uk.gov.in/rules-and-regulations

बिंदु संख्या 13: नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और दस्तावेज

विभाग की वेबसाइट पर नागरिकों के उपयोगार्थ समस्त आवेदन प्रपत्र एवं वैधानिक प्रलेख निःशुल्क पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध हैं|

बिंदु संख्या 14: शासन स्तर एवं विभागाध्यक्ष स्तर से जारी शासनादेश, दिशा-निर्देश व कार्यालय ज्ञाप

विभाग द्वारा निर्गत समस्त महत्वपूर्ण शासनादेश एवं कार्यालय ज्ञाप वेबसाइट पर तिथि एवं विषयवार अपलोड किए गए हैं:

- वेबसाइट लिंक: www.ukrd.uk.gov.in/government-orders

बिंदु संख्या 15: नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं / अधिकारों का पूर्ण विवरण

नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार एवं सेवा वितरण के मानक निम्नानुसार सार्वजनिक हैं:

1. काम पाने का कानूनी अधिकार: VB-GRAM G के तहत आवेदन के 15 दिन में अकुशल रोजगार पाने का अधिकार; न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार।
2. ससमय पारिश्रमिक का अधिकार: मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन में सीधे बैंक खाते में भुगतान; विलंब की स्थिति में 0.05% दैनिक प्रतिकर का अधिकार।
3. सिटिजन चार्टर एवं सेवा का अधिकार: नागरिक अधिकार पत्र में विहित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करने तथा विफलता पर अपील करने का अधिकार।
4. सस्ती पोषण सेवा का अधिकार: राज्य की 24 इन्दिरा अम्मा कैंटीनों में ₹20 (मैदान) व ₹25 (पहाड़) में पौष्टिक भोजन थाली प्राप्त करने का अधिकार।
5. पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण: ग्राम पंचायत के समस्त व्ययों, मस्टर रोल, वाउचरों एवं आवास सूचियों का खुली बैठक में सत्यापन का अधिकार।

बिंदु संख्या 16: प्रमुख संपर्कों की विस्तृत निर्देशिका एवं अधिकारियों का विवरण

वेबसाइट पर राज्य के समस्त स्तरों के प्रमुख अधिकारियों की टेलीफोन/मोबाइल निर्देशिका सार्वजनिक है ।

बिंदु संख्या 17: धारा 4(1)(ख)(xiv) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध विवरण का खुलासा

विभाग द्वारा डिजिटल रूप में संरक्षित एवं संधारित प्रमुख एमआईएस (MIS) डेटाबेस का विवरण निम्न प्रकार प्रदर्शित है:

क्र.सं.	इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली / डेटाबेस का नाम	धारित सूचना का स्वरूप एवं अभिलेख old manual rd 13 to 16.pdf+ 2	एक्सेस का राष्ट्रीय / राज्य वेब पोर्टल
1	NREGAsoft	समस्त 9.98 लाख जॉब कार्ड, ई-मस्टर रोल, कार्यवार व्यय, FTO भुगतान एवं परिसंपत्तियां	nrega.nic.in
2	AwaasSoft / AwaasApp	आवास प्लस सूची, 55,748 पूर्ण आवास, किस्तवार डीबीटी संवितरण, 03-चरणीय जियो-टैग फोटो	rhreporting.nic.in
3	OMMAS (PMGSY MIS)	21,545 किमी निर्मित सड़कें, निविदाएं, प्रयोगशाला परीक्षण, ठेकेदार भुगतान व SQM रिपोर्ट	omms.nic.in
4	e-Office (e-File System)	आयुक्तालय स्तर पर प्रशासनिक, कार्मिक एवं वित्तीय संचिकाओं का डिजिटल संचरण	eoffice.uk.gov.in
5	RTI Online Portal	ऑनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील, शुल्क पावती एवं निस्तारण आदेश	rtionline.uk.gov.in
6	IFMS / PFMS	राज्य बजट आवंटन, कोषागार देयक, ई-वेतन, एनपीएस, पेंशन एवं केंद्रीय स्कीम खाता मैपिंग	https://ifms.uk.gov.in/
7	CM Helpline 1905 / Samadhan	जन-शिकायतों का L1, L2, L3 पंजीकरण, जांच आख्याएं व समाधान स्थिति	cmhelpline.uk.gov.in

- वेबसाइट लिंक: www.ukrd.uk.gov.in/electronic-records

बिंदु संख्या 18: वेब पेज पर आरटीआई की सक्रिय जानकारी एवं अंतिम अद्यतन तिथि (Last Updated Date)

- अनिवार्य मानक का अनुपालन: ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट के होमपेज तथा आरटीआई सेक्शन (www.ukrd.uk.gov.in/rti) के शीर्ष दाएं कोने (Top Right Corner) पर अंतिम अद्यतन तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है:
- अद्यतन :— 31 अक्टूबर, 2026 Last Updated: 30th April, 2026
- वेबसाइट लिंक: https://ukrd.uk.gov.in/document-category/rti-documents-manuals/

बिंदु संख्या 19: नामित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण विवरण

विभाग के मुख्यालय (आयुक्तालय स्तर) पर नामित आरटीआई प्राधिकारियों का संपूर्ण विवरण निम्न प्रकार वेबसाइट पर प्रदर्शित है:

19.1 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority - FAA)

- नाम: श्री ए०के० राजपूत
- पदनाम: प्रभारी अपर आयुक्त / उपायुक्त (प्रशिक्षण-प्रबंधन)
- कार्यालय का पूर्ण पता: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी (गढ़वाल) - 246001
- कैम्प कार्यालय: सर्वे चौक / आजीविका भवन, रायपुर, देहरादून
- दूरभाष / मोबाइल: 9412939946, 7088864448, 01368-222920
- ई-मेल आईडी: rajputak@rediffmail.com एवं dcprogramme303@gmail.com

19.2 राज्य लोक सूचना अधिकारी (State Public Information Officer - SPIO)

- नाम: श्रीमती हेमन्ती गुन्जियाल
- पदनाम: उपायुक्त (प्रशासन)
- कार्यालय का पूर्ण पता: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी (गढ़वाल) - 246001
- दूरभाष / मोबाइल: 9410112900, 01368-222920
- ई-मेल आईडी: dcprogramme303@gmail.com

19.3 सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी (Assistant SPIO)

- पदनाम: सहायक आयुक्त (मुख्यालय प्रशासन)
- कार्यालय का पता: आयुक्तालय, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी - 246001 | दूरभाष: 01368-222920

(समस्त 13 जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों (FAA), जिला विकास अधिकारियों (PIO) एवं 95 खण्ड विकास अधिकारियों (PIO) की विस्तृत सूची वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित है)

बिंदु संख्या 20: अभिलेखों के स्वःप्रकटन (धारा 4) हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत अभिलेखों के नियमित स्वःप्रकटन, अद्यतनीकरण, समन्वय एवं राज्य सूचना आयोग के साथ अनुपालन हेतु नामित विभागीय नोडल अधिकारी का विवरण निम्नवत् है:

• आधिकारिक पदनाम: उपायुक्त (प्रशासन) एवं लोक सूचना अधिकारी

• कार्यालय का नाम: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

• पूर्ण कार्यालय पता: आयुक्तालय, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी (गढ़वाल) - 246001 (उत्तराखण्ड)

• आधिकारिक ई-मेल: dcprogramme303@gmail.com

बिंदु संख्या 21: विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में आरटीआई की जानकारी

- वैधानिक अनुपालन: ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट / कार्यपूर्ति दिग्दर्शक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की विस्तृत आख्या अनिवार्यतः सम्मिलित की जाती है।
- **प्रतिवेदित प्रमुख आरटीआई विवरण:**
 - वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग में प्राप्त कुल आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों का सांख्यिकी विवरण।
 - राज्य सूचना आयोग, उत्तराखण्ड से प्राप्त आदेशों एवं अनुपालन की अद्यतन स्थिति।
 - UIRD&PR रुद्रपुर एवं 8 क्षेत्रीय प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों (ETCs) द्वारा लोक सूचना अधिकारियों व अपीलीय अधिकारियों हेतु आयोजित आरटीआई प्रशिक्षण सत्रों का विवरण।

बिंदु संख्या 22: सुराज, भ्रष्टाचार निवारण एवं सतर्कता हेतु नामित नोडल अधिकारी

विभाग में भ्रष्टाचार उन्मूलन, शुचिता, निष्पक्षता एवं जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance to Corruption) की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ (Vigilance Cell) कार्यरत है:

- नामित नोडल अधिकारी: आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
- कार्यालय का पता: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी (कैम्प: देहरादून)
- आधिकारिक ई-मेल: dcprogramme303@gmail.com
- राज्य भ्रष्टाचार निरोधक टोल-फ्री नंबर: 1064 (सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

बिंदु संख्या 23: संचालित योजनाओं की जानकारी एवं जन-शिकायतों हेतु नामित अधिकारी का विवरण

विभागीय योजनाओं (VB-GRAM G, PMAY-G, NRLM, REAP, PMGSY, मुख्यमंत्री उद्यमशाला आदि) की जानकारी प्राप्त करने तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु नामित अधिकारी का विवरण निम्नवत् है:

23.1 राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (योजना जानकारी एवं शिकायत निवारण)

- नामित अधिकारी (कार्यक्रम एवं शिकायत): श्री भरत चन्द्र भट्ट
- पदनाम: उपायुक्त (कार्यक्रम) एवं नोडल अधिकारी, सेवा का अधिकार अधिनियम
- कार्यालय का पता: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी (कैम्प: देहरादून)
- आधिकारिक ई-मेल: dcprogramme303@gmail.com

23.2 शिकायत पंजीकरण के अधिकृत माध्यम

- मा० मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 1905 (टोल-फ्री 24×7 कॉल सेंटर)
- समाधान वेब पोर्टल: cmhelpline.uk.gov.in एवं samadhan.uk.gov.in
- सेवा का अधिकार पोर्टल: urgus.uk.gov.in
- जनपदीय स्तर पर: समस्त 13 जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी (विवरण निर्देशिका में उपलब्ध)।